UPSI010050372023

न्यायालय जनपद न्यायाधीश,सीतापुर।

चुनाव याचिका संख्या–04 / 2023

आशा देवी बनाम रिटर्निंग अधिकारी आदि।

13–03–2024

पत्रावली प्रार्थनापत्र 21ग पर आदेश हेतु नियत है।

पूर्व की तिथि पर प्रार्थनापत्र 21ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। प्रार्थनापत्र 21ग2 विपक्षी संख्या–2 मुन्नी देवी की ओर से आदेश 7 नियम 11 दी0 प्र0 सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि उक्त चुनाव याचिका याचिनी की ओर से इस आशय की दाखिल की गयी है कि विपक्षी संख्या–2 ने अपने प्रभुत्व का प्रयोग करके वार्ड संख्या–8 मोहल्ला टाण्डा सालार की मतदाता सूची में दर्ज 09 वोट को वार्ड संख्या–5 मोहल्ला शेख टोला में अवैध रूप से दर्ज करवाकर अपने पक्ष में वोटिंग करवायी तथा निर्वाचन अधिकारी से मिलीभगत करके मतगणना स्थल पर मतपत्रों की बनायी गयी गड्डी में फेरफार कर याचिनी को चुनाव हरवा दिया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत याचिका ग्राहय नहीं है। कोई वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही प्रथम दृष्टया मामला याचिनी के पक्ष में है,याचिनी द्वारा कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। याचिका में पूर्ण रूप से वाद हेतु प्रकट नहीं है। याचिका पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र का निस्तारण प्रारम्भिक रूप से करते हुये प्रस्तुत याचिका आदेश–7 नियम 11 दी0प्र0सं0 के अंतर्गत खण्डित किये जाने की याचना की गयी।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्व याचिनी आशा देवी की ओर से आपत्ति 22ग2 प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विहित प्राविधानों के अनुरूप नहीं है तथा उसमें उल्लिखित अभिवचन भी तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट नहीं किये गये हैं,मात्र सामान्य व सरसरी तथ्यों के आधार पर सबूत प्रस्तुत न किये जाने की बात लिखी गयी है,बल्कि याचिनी द्वारा याचिका में पूर्ण रूप से यथासार्मथ्य सबूत पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये हैं। अतः विपक्षी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 दी0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत चुनाव याचिका याचिनी आशा देवी की ओर से विपक्षी संख्या–2 मुन्नी सहित अन्य विपक्षीगण को पक्षकार बनाते हुये विपक्षीगण द्वारा चुनाव में मतगणना में हुई हेराफेरी के आधार पर घोषित निर्वाचन को निरस्त कराये जाने व याचिनी को निर्वाचित घोषित किये जाने की याचना के अनुतोष हेतु संस्थित की गयी है।

दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश–7 नियम–11 में इस आशय की व्यवस्था दी गई है कि कोई भी वाद यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हो तो उसे दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश–7 नियम–11 के तहत निरस्त किया जाएगा–

i–जहॉ वाद का वाद हेतुक दर्शित न हो रहा हो।

ii–जहॉ वाद का मूल्यांकन कम पाया गया हो, व न्यायालय द्वारा निर्देश के बाद भी अपेक्षित समय मे वादी, वाद मूल्यांकन सही करने में असमर्थ रहा हो।

iii–दावे से सम्बन्धित अनुतोष का मूल्यांकन तो ठीक है परन्तु न्यायशुल्क अप्रर्याप्त है और निर्देश के बाद भी अपेक्षित समय के अन्दर वादी कम न्यायशुल्क पूरा करने में असमर्थ रहा है।

iv– जहॉ वादपत्र के कथन से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो।

v– जहॉ वादपत्र दो प्रतियों में दाखिल न किया गया हो।

vi– जहॉ दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश–9 के प्रावधानों का पालन न हुआ हो।

उपर्युक्त सन्दर्भित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में यदि प्रार्थना–पत्र 21ग2 पर विचार किया जाए तो स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त सन्दर्भित आधारों में से कोई भी आधार व परिस्थितियां प्रश्नगत मामलें में लागू नहीं हैं। याचिनी द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी चुनाव याचिका में वाद कारण स्पष्ट किया गया है और अपने वाद को साबित करने का भार वादी / प्रार्थिनी पर ही होता है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये प्रार्थनापत्र 21ग2 बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 21ग2 निरस्त किया जाता है। आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

चुनाव याचिका वास्ते सुनवाई दिनांक 06.04.2024 को पेश हो।

जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।
13–03–2024

ज्ञानेन्द्र / –

Digitally signed by Manoj Kumar
Date: 2024.03.13 15:20:17 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court Sitapur